



उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद

पं. दीनदयाल उपाध्य पर्यटन भवन,
गढ़ीकैंट, देहरादून ।

दूरभाष: 0135-2559898, फ़ैक्स- 0135-2559988, E-mail: publicityutdb@gmail.com
Website: uttarakhandtourism.gov.in

सं०- /2-10-152/2014-15 दिनांक देहरादून 20 सितम्बर, 2014

सेवामें,

- 1- श्री एस.एस.सामन्त, शोध अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, यू.टी.डी.बी.
- 2- श्री सतीश बहुगुणा, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, यू.टी.डी.बी.

विषय:- सूचना का अधिकार-2005 के संबंध में ।

महोदय,

दिनांक 19.09.2014 को सूचना के अधिकार-2005 के अन्तर्गत डॉ० भूषण सिंह रावत, निवासी मौहल्ला कायस्थान(रामलीला ग्राउण्ड के पास)मंगलौर जिला हरिद्वार के अनुरोध पत्र, दिनांक 25.08.2014 के संबंध में प्रथम अपील सुनवाई में लिये गये निर्णय की प्रति आपको पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नक:-उक्तवत ।

(वी०एस० चौहान)

प्रथम अपीलीय अधिकारी/
उप निदेशक ।

पू०प०सं०-1574 /2014 समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- डॉ० भूषण सिंह रावत, अपीलार्थी-निवासी मौहल्ला कायस्थान (रामलीला ग्राउण्ड के पास)मंगलौर जिला हरिद्वार को सूचनार्थ ।
- 2- विभागीय वेबसाइट में प्रदर्शित किये जाने हेतु ।
- 3- आदेश पत्रावली ।

(वी०एस० चौहान)

प्रथम अपीलीय अधिकारी/
उप निदेशक ।



सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 की
अपील धारा-19 के अन्तर्गत आदेश

डॉ० भूषण सिंह रावत, निवासी मौहल्ला कायस्थान(रामलीला ग्राउण्ड के पास)मंगलौर जिला हरिद्वार का अनुरोध पत्र, दिनांक 25.08.2014 जो इस कार्यालय को दिनांक 2-09-2014 को प्राप्त हुआ है के संबंध में दिनांक 17.09.2014 को अपील हेतु तिथि निर्धारित की गयी थी, परन्तु उक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण अपील की तिथि दिनांक 19.09.2014 को निर्धारित गयी, जिसकी सूचना अपीलार्थी को दूरभाष पर दी गयी थी। उक्त तिथि को अपील की सुनवाई उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, गढ़ीकैन्ट, देहरादून में की गयी, जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य के द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- 1- श्री एस.एस.सामन्त, शोध अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, यू.टी.डी.बी.
- 2- श्री सतीश बहुगुणा, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, यू.टी.डी.बी.
- 3- डॉ० भूषण सिंह रावत, अपीलार्थी

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अपीलार्थी का पक्ष सुना गया तथा उनके द्वारा अवगत कराये गये जिला पर्यटन विकास अधिकारी, हरिद्वार को मुख्यालय के स्तर से प्रेषित किये गये पत्र सं०-1238/2-6-550/2012-13, दिनांक 28-07-2104 के क्रम में की गयी कार्यवाही से संबंधित सूचना जिला पर्यटन विकास अधिकारी से प्राप्त कर तीन दिन के भीतर अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवाये जाने के निर्देश दिये गये।

उपरोक्त के अतिरिक्त अपीलार्थी के द्वारा (1) ग्रामीण पर्यटन के अन्तर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम (2) ग्रामीण पर्यटन योजना का प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन (3) ग्रामीण पर्यटन की विकास योजनाओं हेतु वर्ष 2014-15 के लिये प्राविधानित बजट सम्बंधी सूचना की भी मौखिक रूप से मांग की गयी, जिसके सम्बन्ध में जिला पर्यटन विकास अधिकारी मुख्यालय को एक सप्ताह के भीतर सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

उक्त आदेशों के साथ अपील का निस्तारण किया गया।

(वी०एस० चौहान)

प्रथम अपीलीय अधिकारी/
उप निदेशक।